<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम, बिरौल, दरभंगा</u>

<u>C.R Case No. - 413/2007</u>

<u>नौशाद आलम बनाम इमरान खॉ एवं अन्य</u>

<u>05.06.2026</u>

अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत अभिलेख में घटना के संबंध में अंचलाधिकारी, किरतपुर को पत्रांक 439 दिनांक 21.07.2019 को निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गयी परंतु अंचलाधिकारी, किरतपुर के द्वारा आजतक कारण पृच्छा का जबाब प्रस्तुत नहीं कराया गया है। प्रस्तुत वाद में परिवादी दिनांक 20.04. 2009 से आज तक अनुपस्थित चले आ रहे है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के निर्देशानुसार पुराने वादों को यथाशीघ्र निष्पादित करना है। प्रस्तुत वाद काफी पुराना है। पत्राचार करने के पश्चात् भी जबाब न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया है तथा निकट भविष्य में न्यायालय में समर्पित होने की सम्भावना नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद को निष्पादित किया जाता है। भविष्य में अंचलाधिकारी, किरतपुर के द्वारा रिर्पोट न्यायालय में समर्पित की जाती है तो वाद में अग्रिम कारवाई पुनः शुरू की जायेगी। तद्नुसार वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम
बिरौल, दरभंगा